POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 28.02.2023

#पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह द्वारा आगामी त्योहारों, शांति व्यवस्था व आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर-108 के ऑडिटोरियम में सभी धर्मों के गुरुओं व संभ्रांत व्यक्तियों के साथ मीटिंग की गई।

दिनांक 28/02/2023 को पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह द्वारा आगामी त्योहारों, शांति व्यवस्था व आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर-108 के ऑडिटोरियम में सभी धर्मों के गुरुओं व संभ्रांत व्यक्तियों के साथ मीटिंग की गई। मीटिंग में पुलिस कमिश्नर द्वारा सभी धर्म गुरुओं/संभ्रांत व्यक्तियों के साथ संवाद करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने, अपने-अपने धर्म के लोगों के साथ गोष्ठी कर उनको आपसी सौहार्द बनाए रखने हेतु समझाने के लिए बताया गया। प्रमुख धार्मिक स्थलों के आस-पास सीसीटीवी कैमरे लगवाने, किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने, साथ ही यदि कोई व्यक्ति अफवाह फैलाने का प्रयास करता है, तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को देने के लिए बताया गया।

पुलिस कमिश्नर द्वारा बताया गया कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पुलिस द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी, धार्मिक भावनाएं भड़काने या दुष्प्रचार करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।

पुलिस कमिश्नर द्वारा धार्मिक गुरुओं/संभ्रांत व्यक्तियों से संवाद के दौरान उनसे उनकी समस्याओं के बारे में भी पूछा गया एवं बताया गया कि कोई भी परेशानी होने पर तुरंत संबंधित पुलिस अधिकारीगण व अपने नजदीकी थाने पर सूचना दें, जिससे तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। पुलिस कमिश्नर द्वारा सभी पुलिस अधिकारीगण को धार्मिक गुरुओं/संभ्रांत व्यक्तियों के साथ गोष्ठी कर अपने अपने संपर्क नंबर साझा करने, अन्य विभाग के अधिकारीगण के साथ मीटिंग करके त्यौहारों से पूर्व ही सभी तैयारियां पूर्ण कर लेने, होलिका दहन के स्थानों का निरीक्षण कर वहां से बिजली के तार हटवाने व अन्य सावधानियां बरतने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस कमिश्नर द्वारा सभी धार्मिक गुरुओं/संभ्रांत व्यक्तियों से सुझाव भी मांगे गए एवं संबंधित अधिकारीगण को उनका सहयोग प्राप्त करते रहने हेतु निर्देशित किया गया जिससे शांति व्यवस्था बनी रहे और सभी लोग अपने-अपने त्योहार शांति पूर्व ढंग से मना सके।

मीटिंग के दौरान अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था श्री रवि शंकर छवि, सभी जोन के डीसीपी, सभी एडीसीपी व कमिश्नरेट के सभी थाना क्षेत्रों से विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु, ग्राम प्रधान व संभ्रांत नागरिक व अन्य पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे।

##सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत मिशन शक्ति अभियान में महिला सुरक्षा/वीमेन पावर लाइन-1090 के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु 1090 शुभंकर(Mascot) और जागरूकता वाहन को पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय श्रीमती भारती सिंह द्वारा पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा श्रीमती मीनाक्षी कात्यायन, एसीपी महिला सुरक्षा के साथ पुलिस मुख्यालय, सूरजपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत मिशन शक्ति अभियान में महिला सुरक्षा/वीमेन पावर लाइन-1090 के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0, लखनऊ मुख्यालय द्वारा जन जागरूकता संबंधी विविध कार्यक्रम संचालित लिए जा रहे है। जिसके अंतर्गत वीमेन पावर लाइन-1090 के शुभंकर(Mascot) के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जनपद में प्रचार प्रसार किया जाना भी सम्मिलित है। इसी क्रम में आज दिनांक 28/02/2023 को पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के निर्देशानुसार अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय श्रीमती भारती सिंह व पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा श्री डॉ0 मीनाक्षी कात्यायन द्वारा 1090 शुभंकर(Mascot) और जागरूकता वाहन को पुलिस मुख्यालय, सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

जागरूकता वाहन व 1090 शुभंकर(Mascot) द्वारा आज दिनांक 28/02/2023 को द्वारा-सेक्टर-18, अट्टा मार्केट, हरौला, डीएलएफ मॉल, छिजारसी, ममूरा में जाकर लोगों को महिला संबंधी अपराध, महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र, विभिन्न हेल्पलाइन नंबर 1090-वीमेन पावर लाइन 181-महिला हेल्पलाइन, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा, 108-एंबुलेंस सेवा, विभिन्न साइबर अपराधों व उनसे बचाव के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। सभी लोगों को(विशेषकर पुरुष वर्ग) लैंगिक संवेदनशीलता, बच्चियों की शिक्षा व अन्य बातों के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है, जिससे महिलाओं के उत्पीड़न पर रोकथाम की जा सके।

एसीपी महिला सुरक्षा वर्णिका द्वारा महिला सुरक्षा इकाई के साथ विद्यालयों में जाकर बालिकाओं को नए नए तरीके के साइबर अपराध, यौन दुराचार के संबंध में भी जानकारियां दी जा रही व उनसे बचाव के तरीकों के बारे में भी बताया जा रहा है साथ ही आईईसी मैटेरियल तथा हेल्पलाइन नंबर लिखे पम्पलेट भी वितरित किए जा रहे हैं जिससे महिलाएं और अधिक जागरूक हो सके व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले।

इसी अभियान के क्रम में कल दिनांक 01/03/2023 को जागरूकता वाहन द्वारा जलपुरा, हल्दोनी, कुलेसरा, परी चौक व एच्छर में जाकर लोगों को जागरूक किया जायेगा।

जागरूकता वाहन को रवाना करते समय प्रभारी पुलिस उपायुक्त मुख्यालय श्री विशाल पांडे, एसीपी महिला सुरक्षा श्रीमती वर्णिका सिंह, महिला थाना प्रभारी/कार्यक्रम नोडल अधिकारी श्रीमती सरिता सिंह व अन्य पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे।

1-थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहा 25 हजार रूपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27.02.2023 को थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहा 25 हजार रूपये का इनामी अभियुक्त अर्जुन पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम जैनपुर, थाना रोहटा, जिला मेरठ वर्तमान पता राजेन्द्र का मकान, गली नं0-7, सेक्टर-66, मामूरा, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के बहलोलपुर अण्डरपास, सेक्टर 63 से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त थाना सेक्टर-63 के मु0अ0सं0 53/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस उपायुक्त सेन्ट्रल नोएडा द्वारा 25 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

अभियुक्त का विवरणः

अर्जुन पुत्र विजेन्द्र निवासी ग्राम जैनपुर, थाना रोहटा, जिला मेरठ वर्तमान पता राजेन्द्र का मकान, गली नं0-7, सेक्टर-66, मामूरा, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः

1.मु0अ0सं0 53/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना सेक्टर-63, नोएडा।

2.मु0अ0सं0 85/2022 धारा 392 भादवि0 थाना सेक्टर-63, नोएडा।

3.मु0अ0सं0 153/2022 धारा 392/411 भादवि0 थाना सेक्टर-63, नोएडा।

4.मु0अ0सं0 154/2022 धारा 414/411/34 भादवि0 थाना सेक्टर-63, नोएडा।

5.मु0अ0सं0 157/2022 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना सेक्टर-63, नोएडा।

6.मु0अ0सं0 36/2022 धारा 392 भादवि0 थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।

2-थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए दो कुख्यात चोर गिरफ्तार, कब्जे से दो चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित सामान 02 लैपटॉप, 02 गैस सिलेंडर, 10 मोबाइल फोन, 02 घडी, 04 पर्स, कुल 4,030 रुपये व 02 अवैध चाकू बरामद।

दिनांक-28.02.2023 को थाना फेस-2 नोएडा पुलिस द्वारा थाना फेस-2 पंजीकृत मु0अ0सं0 91/23 धारा 380 भादवि व मु0अ0सं0 22/23 धारा 380 भादवि का सफल अनावरण करते हुए चोरी करने वाले दो चोर 1.रहमत अंसारी पुत्र गामा अंसारी निवासी गांव चिरैया, थाना चिरैया, जिला मोतिहारी, बिहार वर्तमान निवासी बिल्लू का मकान, ग्राम भूड़ा, थाना सेक्टर-39, नोएडा 2.महबूब आलम पुत्र अख्तर हुसैन निवासी मुनकेरी, थाना छतरपुर, जिला पलामू, झारखंड वर्तमान निवासी बिल्लू का मकान, ग्राम भूड़ा, थाना सेक्टर-39, नोएडा को एनएसईजेड की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से दो चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित सामान 02 लैपटॉप, 02 गैस सिलेंडर, 10 मोबाइल फोन, 02 घडी, 04 पर्स, कुल 4,030 रुपये व 02 अवैध चाकू बरामद किया गया है।

अभियुक्तों का विवरणः

1.रहमत अंसारी पुत्र गामा अंसारी निवासी गांव चिरैया, थाना चिरैया, जिला मोतिहारी, बिहार वर्तमान निवासी बिल्लू का मकान, ग्राम भूड़ा, थाना सेक्टर-39, नोएडा।

2.महबूब आलम पुत्र अख्तर हुसैन निवासी मुनकेरी, थाना छतरपुर, जिला पलामू, झारखंड वर्तमान निवासी बिल्लू का मकान, ग्राम भूड़ा, थाना सेक्टर-39, नोएडा।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

1.मु0अ0सं0 91/23 धारा 380, 411 भादवि थाना फेस-2, नोएडा।

2.मु0अ0सं0 22/23 धारा 380,411 भादवि थाना फेस-2, नोएडा।

3.मु0अ0सं0 111/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व धारा 414 भा0द0वि0 थाना फेस-2, नोएडा।

बरामदगी का विवरण

1.दो लैपटॉप

2.दो गैस सिलेंडर

3.दस मोबाइल फोन

4.दो घडी

5.चार पर्स

6.कुल 4,030 रुपये

7.दो अवैध चाकू

3-थाना बादलपुर पुलिस द्वारा, कैन्टर(ट्रक)/गाड़ी चोरी/लूट करने वाले दो शातिर अभियुक्तो(01 घायल) को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 28.02.2023 को चेकिंग के दौरान थाना बादलपुर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई पुलिस मुठभेड़ में थाना बादलपुर क्षेत्र के अम्बेड़कर पार्क रोड़, बादलपुर से दो शातिर अभियुक्तों(01 घायल) 1.इन्तजार पुत्र रमजान निवासी बड़ागांव थाना खेकड़ा, जिला बागपत वर्तमान पता- ग्राम कासिमपुर खेड़ी, थाना रमाला, जिला बागपत(घायल) 2.नसीम पुत्र मेंहदीहसन निवासी पूठखास, थाना रोहटा, जिला मेरठ को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ हेतु चलायी गयी गोली पैर में लगने के कारण अभियुक्त इन्तजार घायल हो गया। अभियुक्तों के कब्जे से 1.एक ईको स्पोर्टस कार जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट नं0-यूपी 16 बीवाई-9901 लगी है, जो ई एफआईआर नं0-023499 ई-पुलिस स्टेशन मोतीनगर दिल्ली से सम्बन्धित चोरी की है व 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुए है। घायल अभियुक्त इन्तजार को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। दोनों अभियुक्त शातिर चोर व लुटेरे है। प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि अभियुक्त इन्तजार कोतवाली बागपत से गैंगस्टर अधि0 के अभियोग में वांछित है। इनके द्वारा विगत माह थाना बिसरख क्षेत्र से एक कैन्टर चोरी करना भी बताया गया है। ये दोनो अभियुक्त पूर्व में कई बार जेल जा चुके है।

अभियुक्तों का विवरणः

1.इन्तजार पुत्र रमजान निवासी बड़ागांव थाना खेकड़ा, जिला बागपत वर्तमान पता- ग्राम कासिमपुर खेड़ी, थाना रमाला, जिला बागपत(घायल)।

2.नसीम पुत्र मेंहदीहसन निवासी पूठखास, थाना रोहटा, जिला मेरठ।

आपराधिक इतिहास का विवरणः

<u>अभियुक्त इन्तजार</u>

1.मु0अ0सं0-367/19 धारा-3/25 भादवि थाना मंसूरपुर, जिला मु0नगर।

2.मु0अ0सं0-1019/20 धारा-379 भादवि थाना बडौत, जिला बागपत।

3.मु0अ0सं0-1135/20 धारा-379 भादवि थाना बडौत, जिला बागपत।

4.मु0अ0सं0-407/20 धारा-379 भादवि थाना सिघावली अहीर, जिला बागपत।

5.मु0अ0सं0-511/21 धारा-379 /411भादवि थाना किठौर, जिला रठ।

6.मु0अ0सं0-21/21 धारा-379 भादवि थाना कोतवाली बागपत, जिला बागपत ।

7.मु0अ0सं0-79/21 धारा-379 भादवि थाना कोतवाली बागपत, जिला बागपत ।

8.मु0अ0सं0-80/21 धारा-379 भादवि थाना कोतवाली बागपत, जिला बागपत ।

9.मु0अ0सं0-81/21 धारा-379 भादवि थाना कोतवाली बागपत, जिला बागपत ।

10.मु0अ0सं0-88/21 धारा-411/414 भादवि थाना कोतवाली बागपत, जिला बागपत।

11.मु0अ0सं0-196/21 धारा-3/25 ए.एक्ट थाना कोतवाली बागपत, जिला बागपत।

12.मु0अ0सं0-134/21 धारा-323/354/452/506 भादवि थाना रमाला, जिला बागप।

13.मु0अ0सं0-495/22 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली बागपत, जिला बागपत।

अभियुक्त नसीम

1.मु0अ0स0-37/20 धारा-395/412 भादवि थाना जानी, जिला मेरठ।

2.मु0अ0सं0-14/20 धारा-392/411 भादवि थाना रोहटा, जिला मु0नगर।

3.मु0अ0सं0-48/20 धारा-307 भादवि थाना जानी, जिला मेरठ।

बरामदगी का विवरणः

1.एक ईको स्पोर्टस कार जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट नं0-यूपी 16 बीवाई-9901 लगी है, जो ई एफआईआर नं0-023499 ई-पुलिस स्टेशन मोतीनगर दिल्ली से सम्बन्धित चोरी की है।

2.01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद।